रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—25

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—25

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11102025-266855
CG-DL-W-11102025-266855

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 11—अक्तूबर 17, 2025 (आश्विन 19, 1947)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2025 (ASVINA 19, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	513
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1013
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	4481
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	3119
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	1
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	5327
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	513
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1013
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..........	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	4481
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3119
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners......	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5327
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2025

सं. 61-प्रेज/2025—भारत की राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित कार्मिक को वीरता पदक (जीएम) सहर्ष प्रदान करती हैं:—

क्र.सं.	पदक पाने वाले का नाम	कार्रवाई के समय पद	प्रदान किया गया पदक
1	श्री विवेक कुमार चौहान	उप निरीक्षक	वीरता पदक

उन सेवाओं का विवरण, जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 24/06/2003 को, घाटीगांव के एसएचओ, श्री विवेक कुमार चौहान एक होम गॉर्ड सैनिक, सीताराम के साथ गांव डांडा खिरक में आईपीसी की धारा 394 तथा एमपीडीपीके अधिनियम की धारा 11/13 के अंतर्गत अपराध क्र.सं. 49/2003 की जांच में व्यस्त थे और तभी उन्हें एक तैनात मुखबिर से एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात फरार वकीला गुर्जर निवासी डांडा खिरक और उसके साथ तीन-चार अज्ञात सशस्त्र बदमाश सैन्य वर्दी पहने हुए पिछले तीन-चार दिनों से लगातार डांडा खिरक गांव से सटे 3/4 किलोमीटर दूर घने जंगल में हनुमान और सिद्ध बाबा के मंदिर के पास देखे गए हैं, जो लगातार ग्रामीणों को प्रताड़ित करते हैं और पास के जंगल में स्थित खनन ठेकेदारों के लिए जबरन पैसा वसूलते हैं। स्थलाकृतिक स्थिति की पुष्टि करने तथा टोह लेने के लिए, एसएचओ श्री विवेक कुमार चौहान, मुखबिर और सहयोगी सैनिक सीताराम के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे। जब वे टोह ले रहे थे, दो अज्ञात हथियारबंद बदमाश बारह (12) बोर की बंदूकों के साथ वहां पहुंचे, जिनमें से एक ने सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और उन्होंने बंदूक की नोक पर एसएचओ और उनकी टीम को रोका और उनसे उनकी पहचान पूछी। एसएचओ ने बताया कि वे खनन अधिकारी हैं। इसी बीच, एक हथियारबंद बदमाश ने संदेह होने पर एसएचओ श्री विवेक कुमार चौहान पर गोली चला दी, जिसमें वे बाल-बाल बचे और उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इसके बाद डकैत ने एसएचओ के साथ हाथापाई शुरू कर दी और उन्हें जमीन पर गिराकर उन पर काबू पाने की कोशिश की तथा उनके बाएं कंधे और बाएं गाल तथा दोनों हाथों पर दांतों से काट कर चोटें पहुंचाईं, और डकैत ने फिर से जमीन पर गिरे एसएचओ पर गोली चलाने की कोशिश की लेकिन श्री चौहान झपट्टा मारकर डकैत के चंगुल से बाहर आ गए। इस बीच मुखबिर आगे आया और उसने डकैत के सिर पर दो-तीन बार बड़ा पत्थर मारा, जिससे डकैत की मौत हो गई। दूसरी ओर दूसरा डकैत होमगार्ड सैनिक सीताराम के साथ हाथापाई कर रहा था जिसमें डकैत ने होमगार्ड सैनिक पर गोली चला दी और उससे सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की जिसमें होमगार्ड सैनिक ने खुद को बचाया और आत्मरक्षा में गोली चलाई तथा हमले से विचलित हुए बिना उसने बड़े पत्थर को डकैत के सिर पर दो-तीन बार मारा जिससे उसकी मौत हो गई। मृत डकैतों के पास से दो 12 बोर की सिंगल बैरल बंदूकें, 11 जिंदा कारतूस और 03 खाली कारतूस बरामद किए गए। आगे की जाँच में दोनों की पहचान (1) शिव नारायण पुत्र गेंदालाल पाठक निवासी उटीला (2) रामेश्वर पुत्र गेंदालाल पाठक निवासी उटीला के रूप में हुई, जो गांव से फरार थे और फरार वकीला गुर्जर से मिल गए थे। दोनों डकैतों ने वर्ष 1987 में उटीला गाँव में एक हत्या की थी, जिसमें उन्हें सत्र न्यायालय ग्वालियर द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और बाद में दिसंबर 2002 में उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी, लेकिन दोनों जमानत से वापस नहीं आए और फरार हो गए थे। छह महीने के भीतर उन्होंने एक दुर्जेय स्थानीय गिरोह बना लिया था और पुलिस स्टेशन उटीला, बेहट, घाटीगांव, पनिहार, तिगरा आदि क्षेत्रों में सक्रिय थे। जनवरी 2003 में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा दोनों पर 5000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

लगभग 20 मिनट की इस आमने-सामने की मुठभेड़ के पूरे चरण में श्री विवेक कुमार चौहान की भूमिका उच्च कोटि की रही, जिसमें डकैतों ने श्री चौहान के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर दांतों से काटकर तथा बंदूक की नली व बट से चोटें पहुंचाईं, लेकिन हमले से विचलित हुए बिना तथा अपनी जान जोखिम में डालकर वे फरार डकैतों से लड़ते रहे और यह उनकी व्यक्तिगत वीरता व साहस तथा उच्च कर्तव्यपरायणता व असाधारण नेतृत्व का ही परिणाम था कि दोनों दुर्दांत डकैत इस मुठभेड़ में मारे गए।

इस ऑपरेशन में, मध्य प्रदेश पुलिस के श्री विवेक कुमार चौहान, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

वीरता पदक (जीएम), राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना संख्या 85-प्रेज/2023 दिनांक 14 अक्टूबर, 2023 और गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 11024/06/2023-पीएमए दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 के तहत प्रदान किया जाता है। फलस्वरूप, इस पुरस्कार में शामिल स्वीकार्य वित्तीय भत्ता दिनांक 24/06/2003 से दिया जाएगा।

(फा. सं. 11020/24/2025-पीएमए)

एस. एम. समी
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2025

No. 61-Pres/2025—The President of India is pleased to award Medal for Gallantry (GM) to the under mentioned personnel of Madhya Pradesh Police:—

Sl No	Name of the Awardee	Rank at the time of Action	Medal awarded
1	Shri Vivek Kumar Chauhan	Sub-Inspector	GM

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 24/6/2003, SHO Ghatigaon Shri Vivek Kumar Chauhan along with one Home Gaurd Sainik Seetaram was busy in the investigation of crime No. 49/2003 u/s 394 IPC 11/13 MPDPK Act at village Danda Khirk and they received a reliable tip from a deployed informer that the notorious absconder Waqila Gurjar resident of Danda Khirk alongwith three to four unknown armed Badmash dressed in military uniform were spotted since last three four days continuously near the temple of Hanuman and Siddh Baba in the thick forest, 3/4 KM adjacent to village Danda Khirak are regularly torturing villagers and collecting money forcefully for mining contractors situated in nearby forest. To verify and recce the topographical situation, SHO Shri Vivek Kumar Chauhan along with the informer and associate Sainik Sitaram reached the pointed spot. No sooner they were recceing the situation two unknown armed badmash with twelve bore Guns out of which one dressed in military uniform came across and at gun point stopped the SHO and his team and asked about their identity. SHO responded to be mining officers. Meanwhile one of the armed badmash having suspicion opened fire on SHO Shri Vivek Kumar Chauhan in which he narrowly escaped and fired in self-defence. The dacoit then scuffled and started wrestling with the SHO and tried to overpower him by pulling him down on earth and inflicted injuries by teeth bite on the left scapular region and left cheek and on both the hands, he again tried to fire on the SHO who was lying on the ground but Shri Chauhan sparingly came out of the clutches of the dacoit. Meanwhile the informer came forward and struck a stone boulder over the head of the dacoit two three times, resulting in the dacoit's death. On the other hand, the other dacoit was scuffling with the Home Guard Sainik Sitaram in which the dacoit opened fire on the Home Guard Sainik and tried to snatch the service revolver from him in which he rescued himself and fired in self-defence but undeterred with the attack, he struck with a stone boulder two three times over the head of the dacoit resulting in his death. Two 12 bore single barrel guns with 11 live cartridges and 03 empty cartridges were recovered from the deceased dacoits. On further verification, both were identified namely as Shiv Narayan S/o Gendalal Pathak Rio Utila and Rameshwar S/o Gendalal Pathak R/o Utila who were absconding from the village and joined hands with absconder Waqila Gurjar. Both dacoits committed a murder in village Utila in 1987 in which they were sentenced life imprisonment by Session Court, Gwalior and subsequently confirmed by High Court in Dec 2002 but both of them jumped bail and absconded. Within a span of six months, they formed a formidable local gang and were operating in areas of P.S. Utila. Behat. Ghatigaon, Panihar. Tigra etc. A reward of Rs. 5000/- each was declared by S.P. Gwalior in January 2003.

In the entire phase of this face to face encounter of about 20 minutes, the role of Shri Vivek Kumar Chauhan was of a high order in which the dacoits inflicted injuries by teeth bites and through the barrel and butt of the gun on the different part of the body of Shri Vivek Kumar Chauhan, but undeterred with the attack and at a great personal risk to his life he kept on fighting with the absconders and it was due to his personal valour and courage and with a sense of high devotion to duty and an extra ordinary leadership that both the dreaded dacoits were killed in this encounter.

In this operation, Shri Vivek Kumar Chauhan, Sub-Inspector of Madhya Pradesh Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a higher order.

The Medal for Gallantry (GM) is conferred under President's Secretariat Notification No. 85-Pres/2023 dated 14th October, 2023 and Ministry of Home Affairs' communication No. 11024/06/2023-PMA dated 16th October, 2023. Consequently, this award carries with it the admissible monetary allowance with effect from 24/06/2003.

(File No. 11020/24/2025-PMA)

S. M. SAMI
Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

KSHITIZ MOHAN Digitally signed by KSHITIZ MOHAN Date: 2025.10.11 08:58:35 +05'30'